



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242064
CG-DL-E-18012023-242064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

का.आ. 293(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4970 (अ) तारीख 20 अक्टूबर 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के कि.मी. 92.000 से 132.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (तुमकुर - शिवमोग्गा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "थे टाइम्स ऑफ़ इंडिया" (अंग्रेजी दैनिक) में और "कन्नड़ प्रभा" (कन्नड़ दैनिक) दोनों में तारीख 16.11.2022 को किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के 92.000 कि.मी.से 132.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (तुमकुरु - शिवमोग्गा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: हस्सान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अरासिकेरे				
	गांव का नाम: बनवारा				
1	39/1	निजी	ड्राय	0.0202	लक्ष्मम्मा डबल्यू/ओ लेट कोडप्पा (३९/१)
	गांव का नाम: हुनसेकट्टे				
2	16	निजी	ड्राय	0.0101	थिम्मैगौडा एस्/ओ शिवलिंगप्पा (१६)
	गांव का नाम: जाजुरु				
3	23	निजी	ड्राय	0.078	चंद्रप्पा एस्/ओ कल्लप्पा, एक्कायर्ड फोर अरसीकेरे रेलवे ट्रेक (२३)
4	27/1	निजी	ड्राय	0.0202	शिवकुमार एस्/ओ मलप्पा (२७/१)
5	27/2	निजी	ड्राय	0.013	ललिता बाई डबल्यू/ओ लेट चंद्रनाइका, पापीबाई डबल्यू/ओ लेट मूर्ति नैका, जय नैका एस्/ओ सन्ना बीमैया नैका, स्वमे नैका एस्/ओ सन्ना बीमनैक, कुमार एस्/ओ सन्ना बीमनैक (२७/२)
6	27/3	निजी	ड्राय	0.0202	राजशेखर एस्/ओ मलप्पा (२७/३)
7	27/7	निजी	ड्राय	0.0404	बसवैया एस्/ओ कलैया, ललिता बाई डबल्यू/ओ लेट चंद्रनाइका, पापीबाई डबल्यू/ओ लेट मूर्ति नैका, जय नैका एस्/ओ

					सन्ना बीमनैक, स्वमे नैका ऍस्/ओ सन्ना बीमा नैका , कुमार ऍस्/ओ सन्ना बीमनैक (२७/७)
	गांव का नाम: काटीकेरे				
8	86	निजी	ड्राय	0.0606	विरूपाक्ष ऍस्/ओ रामेगौडा (८६)
	गांव का नाम: केललंगेरे				
9	306	निजी	ड्राय	0.0202	शारधम्म डबल्यू/ओ रुधारप्पा (३०६)
	गांव का नाम: मल्लापुरा				
10	34/7	निजी	ड्राय	0.0252	लक्ष्मम्मा डबल्यू/ओ लेट कोडप्पा (३४/७)
	गांव का नाम: मुधदानाहल्ली				
11	9/20	निजी	ड्राय	0.0303	कृष्ण नैका ऍस्/ओ बीमा नैका, सोमन्ना नैका ऍस्/ओ बीमा नैका, ऍम् बी राजा नैका ऍस्/ओ बीमा नैका, कुमार नैका ऍस्/ओ बीमा नैका (९/२०)
	गांव का नाम: अरसीकेरे				
12	27/1	निजी	ड्राय	0.0252	सुधाकर ऍस्/ओ लेट रामलिंगप्पा (२७/१)
13	27/2	निजी	ड्राय	0.106	सुधाकर ऍस्/ओ लेट रामलिंगप्पा (२७/२)
	गांव का नाम: तिरुपतिहल्ली				
14	14/3	निजी	ड्राय	0.0101	जयलक्ष्मम्मा डबल्यू/ओ लेट शम्बुलिंगेगौडा (१४/३)
			कुल	0.4797	

[फा. सं. NHAI/4lane TMK-SMG/LA/Karnataka/Notif./3a-Corrigendum/PIU-Shimoga/NH-206/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2023

S.O. 293(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4970 (E) dated 20th October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,

Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 206 in the stretch of land from Km. 92.000 to Km. 132.000 (Tumakuru -Shivamogga section) in the district of Hassan in the State of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in "KANNADA PRABHA " (Kannada) and " THE TIMES OF INDIA" (English) both dated 16th November 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 92.000 to Km. 132.000 (Tumakuru - Shivamogga Section) of the National Highway No. 206 in the State of Karnataka.

State: KARNATAKA District: HASSAN					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Arsikere				
	Village: Banavara				
1	39/1	Private	Dry	0.0202	Lakshamma w/o Late Kodappa 39/1
	Village: Hunsekatte				
2	16	Private	Dry	0.0101	Thimmegowda s/o Shivalingappa 16
	Village: Jajuru				
3	23	Private	Dry	0.078	Chandrappa s/o Kallappa, Acquired for Arasikere Railway track 23
4	27/1	Private	Dry	0.0202	Shivakumar s/o Malappa 27/1
5	27/2	Private	Dry	0.013	Lalitha bai w/o Late Chandranaika, PapiBai w/o Late Murthy Naika, Jaya Naika s/o Sanna beemaiah naika, Swmay

					Naika s/o Sanna Beemanaika, Kumar s/o Sanna Beemanaika 27/2
6	27/3	Private	Dry	0.0202	Rajashekar s/o Malappa 27/3
7	27/7	Private	Dry	0.0404	Basavaiah s/o Kalaiah, Lalitha bai w/o Late Chandranaika, Papibai w/o Late Murthy Naika, Jaya naika s/o Sanna beemanaika, swmay naika s/o Sanna beema naika , Kumar s/o Sanna beemanaika 27/7
Village: Kateekere					
8	86	Private	Dry	0.0606	Veerupaksha s/o Ramegowda 86
Village: Kellangere					
9	306	Private	Dry	0.0202	Sharadhamma w/o Rudharappa 306
Village: Mallapura					
10	34/7	Private	Dry	0.0252	Lakshmamma w/o Late Kodappa 34/7
Village: Muddanahalli					
11	9/20	Private	Dry	0.0303	Krishna naika s/o Beema naika, Somman Naika s/o Beema naika, M B Raja naika s/o Beema naika, KUMAR naika s/o Beema naika 9/20
Village: Narayanaghattahalli					
12	27/1	Private	Dry	0.0252	Sudhakara s/o Late Ramalingappa 27/1
13	27/2	Private	Dry	0.106	Sudhakara s/o Late Ramalingappa 27/2
Village: Thirupathihalli					
14	14/3	Private	Dry	0.0101	Jayalakshamma w/o Late Shambulingegowda 14/3
TOTAL				0.4797	

[F. No. NHAI/4lane TMK-SMG/LA/Karnataka/Notif./3a-Corrigendum/PIU-Shimoga/NH-206/3D2]

RAJESH GUPTA, Director